

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक:-प. 12(6)साप्र/2/2023 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 02-09-2024

— : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 11 जिलों (बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, धौलपुर, जालोर, गंगापूर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़) में 16 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अगस्त-सितम्बर, 2024 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलग्न)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 05.09.2024 (गुरुवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 05.09.2024 (गुरुवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Signature valid



Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2024.09.02 18:00:44 IST
Reason: Approved

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2024/ 2875

दिनांक:- 03.09.2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां, बीकानेर, चूरु, दौसा, धौलपुर, जालोर, कोटा, गंगापूरसिटी, श्रीगंगानगर एवं अनूपगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)

सहायक सचिव